राजस्थान सरकार

नागरिक अधिकार पत्र

CITIZENS CHARTER

नवीन संस्करण 2011–12

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय

राजस्थान, बीकानेर– 334001

नागरिक अधिकार पत्र
(प्रारम्भिक शिक्षा)

संरक्षक
आलोक गुप्ता
आयुक्त

कार्यदल

मधु सोरल संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	अध्यक्ष
लक्ष्मण प्रसाद, (उप निदेशक)	सदस्य
अजय चौपड़ा (सहायक निदेशक)	सदस्य
राकेश भटनागर (सहायक निदेशक)	सदस्य
ललित बिहारी माथुर (सहायक निदेशक)	सदस्य
च्यानणमल भार्गव (सहायक निदेशक)	सदस्य
रमेश कुमार रंगा (सहायक निदेशक)	सदस्य सचिव

संस्करण – 2011–12

Real education consists in drawing the best out of yourself. What better book can there be than the book of humanity?

–Mahatma Gandhi

प्रकाशक
आयुक्त
प्रारम्भिक शिक्षा राज. बीकानेर

प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
नागरिक अधिकार पत्र

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	विभाग के उद्देश्य	3
2	प्रबंधन	4
3	निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा (परिवेदना निस्तारण मेट्रिक्स)	5–6
4	सूचना का अधिकार (नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के क्षेत्र, अधिकृत अधिकारी,)	7
5	विद्यालय समय	7
6	विद्यालय प्रवेश	8
7	राजकीय शिक्षण संस्थाओं हेतु सहायता	8
8	भामाशाह सम्मान	9
9	निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक वितरण	9
10	विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना	9–10
11	प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत छात्रवृतियाँ	11
12	पोषाहार (मिड–डे–मील)	12
13	प्रकाशन	12
14	शिक्षक–प्रशिक्षण, अभिभावक–शिक्षक परिषद	12
15	विद्यालय प्रबन्धन समिति	13
16	खेलकूद की गतिविधियाँ	13
17	शिक्षा का हक	13
18	अधिकारियों के दूरभाष नम्बर	14–15

विभाग के उद्देश्य

"बच्चों का सर्वांगीण विकास"

1. प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण

(अ) कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे

(ब) विद्यालय में शत प्रतिशत ठहराव

2. शिक्षा में गुणात्मक सुधार

(अ) शिक्षा में न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति

(ब) अभिव्यक्ति का विकास

(स) सृजनशीलता का विकास

(द) शारीरिक व मानसिक स्वस्थता

(य) बालक में विवेक जागृत करना

"हमारे लक्ष्य"

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के तहत कक्षा 8 तक के समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना
2. शत–प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना

प्रबन्धन

ग्राम स्तर – प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता समिति, विद्यालय प्रबन्धन समिति, अभिभावक–शिक्षक परिषद

पंचायत समिति स्तर – विकास अधिकारी (पं.स.), ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कम अति. जिशिअ/वरिष्ठ उप जिशिअ, खण्ड स्तरीय प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता समिति, बी.आर.सी.एफ.

जिला स्तर – मुख्य कार्यकारी अधिकारी(जिला परिषद्), जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि) कम अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान

राज्य स्तर – प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, आयुक्त मिड–डे–मील, आयुक्त प्रारम्भिक शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की संरचना

राजकीय संस्थाएं

- निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
- निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

स्वायत्तशासी संस्थाएं

- राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर
- राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, जयपुर
- राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल,जयपुर

आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के नेतृत्व में निदेशालय स्तर पर अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) अतिरिक्त निदेशक (शैक्षिक), संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्य अधिकारी कार्यरत है। प्रत्येक संभाग स्तर पर उपनिदेशक (प्राशि), जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि) एवं ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यरत है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर शैक्षिक अनुसंधान, पाठ्यक्रम निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु नोडल संस्थान है। जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित है । इसी प्रकार कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर विभिन्न शिक्षा विभागीय परीक्षाओं का संचालन करता है ।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 –परिवेदना निस्तारण मेट्रिक्स

Matrix For Grievance Redressal

Sl No.	Legal Entitlement	Authority/Officer Charged with provision	Authority/Officer Charged with Redressal	Time frame for Redressal	Appellate Authority/ Process
	Admission Related Grievances				
1.	Admission without documents	HM/Principal	BEEO/DEO(s)	7 days	DEO/DD(s)
2.	Age Appropiate admission	HM/Principal	BEEO/DEO(s)	7 days	DEO/DD(s)
3.	Any time admission	HM/Principal	BEEO/DEO(s)	15 days	DEO/DD(s)
4.	Timely Public Display of all Admission related information	HM	BEEO/DEO	1 month	DEO
5.	No Screening Tests	HM/Principal	BEEO/DEO(s)	7 days	Dy. Dir. Elemrentary / Sec.
6.	25 % Reservation in private schools	HM/Principal	BEEO/DEO(s)	1 month	DEO/DD(E) /(S)
	School Related Grievances				
7.	Availability of neighbourhood school	BEEO	DEO	1 year	Dir. Elementary
8.	Transport, where required	BEEO	DEO	2 months	Dy. Dir. Elementary
9.	Other specific entitlements(such as aids and appliances), where required	HM/Principal	BEEO/DEO(s)	6 month	DEO/DD(s)
10.	Special Training	HM/Principal	BEEO/DEO(s)	1 month	DEO/DD(s)
11.	No Tuition fees/No fees/ Fund/No Application form fees/No Capitation fees /No Entrance fees	HM/Principal	BEEO/DEO(s)	15 days	DEO/DD(s)
12.	Corporal Punishment/Discrimination	HM/Principal	SMC	7 days	BEEO/DEO (s)
13.	Text books/Workbooks	HM/Principal	BEEO/DEO(s)	15 days	DEO/DD(s)

14.	Scholarships	HM/Principal	BEEO/DEO(s)	3 month	D.D. Ele./Sec.
15.	Mandated working days/ Instructional hours	HM/Principal	SMC	15 days	BEEO/DEO (s)
16.	Pupil-Teacher Ratio	HM/Principal	BEEO/DEO(s)	As per RTE Rules	Dy. Dir. Elementary
17.	Requisite classrooms	SMC	BEEO/DEO(s)	1 year	DEO/DD(s)
18.	Functional toilets/Drinking Water	SMC	BEEO/DEO(s)	2 months	DEO/DD(s)
19.	Mis-Us of school building/Infastructure	SMC	BEEO/DEO(s)	7 days	DEO/DD(s)
20.	No striking off Rolls	HM/Principal	SMC	7 days	BEEO/DEO (s)
	Teacher Related Grievances				
21.	Non-Compliance of teacher with duties	SMC	BEEO/DEO(s)	15 days	DEO/DD(s)
22.	Private Tuition by teachers	HM/Principal	SMC	15 days	BEEO/DEO (s)
23.	No faliure/ No detention	HM/Principal	BEEO/DEO(s)	15 days	DEO/DD(s)
24.	Non-teaching duties	SMC	BEEO/DEO(s)	1 month	DEO/DD(s)
25.	Issuance of Transfer Certificate	HM/Principal	BEEO/DEO(s)	7 days	DEO/DD(s)
26.	Issuance of Completion Certificate	HM/Principal	BEEO/DEO(s)	1 month	BEEO/DEO (s)
27.	No segregation of reserved children in private schools	HM/Principal	BEEO/DEO(s)	1 month	DEO/DD(E) /(S)

सूचना का अधिकार

1. विद्यालय में कितने बच्चे अध्ययनरत है यह जानने का सभी को अधिकार है।
2. परख, अर्द्व वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी को मूल्यांकन के पश्चात स्वंय की उत्तर पुस्तिका देखने का अधिकार है ।
3 विद्यालय में प्राप्त एवं वितरित किये गये पोषाहार,, निःशुल्क, पाठ्य–पुस्तकें, छात्रवृति की जानकारी लेने का अधिकार है।
4. राज्य सरकार से प्राप्त सामग्री/राशि एवं उनके उपयोग एवं व्यय की जानकारी लेने का अधिकार है।
5. विद्यालय में संचालित शैक्षिक, सहशैक्षिक गतिविधियाँ संबंधी जानकारी लेने का अधिकार है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी

निदेशालय स्तर, मण्डल स्तर, जिला स्तर तथा ब्लॉक स्तर पर सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गई सूचनाओं को उपलब्ध करवाये जाने हेतु निम्नानुसार मनोनयन किया गया है —

लोक सूचना अधिकारी	अपील अधिकारी
1. अतिरिक्त निदेशक (शैक्षिक) प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर	आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
2. निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर	आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
3. उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा (सम्बन्धित मण्डल के लिए)	अतिरिक्त निदेशक (शैक्षिक) प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
4. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर	अतिरिक्त निदेशक (शैक्षिक) प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (सम्बन्धित जिले के लिए)	उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा (सम्बन्धित मण्डल के लिए)
6. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट्स) (सम्बन्धित जिले के लिए)	निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
7. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (सम्बन्धित ब्लॉक के लिए)	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (सम्बन्धित जिले के लिए)

विद्यालय समय

(1) एक पारी विद्यालय

- 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक।
- 1 अक्टूबर से 15 मार्च तक प्रातः 10:30 बजे से सांय 4:30 बजे तक।
- 16 मार्च से ग्रीष्मावकाश प्रारम्भ होने तक प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक।

(2) दो पारी विद्यालय

- 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक प्रातः 7.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक (प्रत्येक पारी 5:30 घंटे)
- 1 अक्टूबर से 28 फरवरी तक प्रातः 7:30 से सांय 5:30 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.00 घंटे)
- 1 मार्च से ग्रीष्मावकाश तक प्रातः 7.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक (प्रत्येक पारी 5:30 घंटे)

(3) माध्यमिक विद्यालय

- माध्यमिक विद्यालय (प्राथमिक विद्यालय सहित)

(दो पारी)	प्रथम पारी	कक्षा 6 से 10 तक
	द्वितीय पारी	कक्षा 1 से 5 तक

विद्यालय प्रवेश

1 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के प्रावधानानुसार कक्षा 1 से 8 तक प्रवेश शिविरा पंचाग के अनुरुप तय तिथि तक अथवा प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि तक जो विद्यालय के शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ की तारीख से 6 मास की होगी, दिया जाएगा, परन्तु किसी बालक को प्रवेश से इन्कार नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा प्रवेश विस्तारित अवधि के पश्चात् ईप्सित (चाहा गया) है ।

2 परन्तु यह और कि जहां किसी बालक को विस्तारित कालावधि के पश्चात् किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, वहां वह विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा यथा–अवधारित विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अध्ययन पूरा करने के लिए पात्र होगा।

3 प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र हो ।

4 परन्तु जहां कहीं उक्तानुसार जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, वहां निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को विद्यालय में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए बालक की आयु का सबूत समझा जायेगा:–

(अ) अस्पताल/सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम) रजिस्टर/अभिलेख

(ब) आंगन बाडी अभिलेख, और

(स) माता–पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा।

5 कभी विद्यालय से ना जुडे या विद्यालय बीच में छोड चुके बच्चों को उसकी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश मिलेगा। उदाहरणार्थ यदि कोई बालक या बालिका 8 वर्ष का है तो उसे कक्षा 3 में प्रवेश मिलेगा, 9 वर्ष का है तो कक्षा 4 में और इसी प्रकार आगे प्रवेश दिया जा सकता है ।

राजकीय शिक्षण संस्थाओं हेतु सहायता

1. प्रक्रिया–

व्यक्ति अथवा संस्था जो शैक्षिक प्रयोजन हेतु, भूमि, भवन अथवा भवन निर्माण कर दान देने के इच्छुक हो, उन्हें संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है।

2. भवन का नामकरण–

(अ) यदि दानदाता द्वारा अनावर्तक व्यय के साथ–साथ फर्नीचर एवं साज–सज्जा पर 50 से 75 प्रतिशत व्यय किया गया हो, तो संस्था का नाम दानदाता की इच्छानुसार रखा जा सकेगा और वांछित नाम के बाद राजकीय शब्द अंकित किया जाएगा।

(ब) यदि दानदाता द्वारा 75 प्रतिशत से अधिक अनावर्तक व्यय वहन किया गया है तो राजकीय शब्द अंकित करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु विद्यालय राजकीय होने की पहचान बनाये रखने हेतु राजकीय शब्द लगाया जा सकेगा।

(स) यदि दानदाता द्वारा भवन का एक हिस्सा अथवा ब्लॉक बनाने के लिए राशि दान में दी हो तो उस ब्लॉक का नाम दानदाता की इच्छानुसार अंकित किया जाएगा।

3. भवन का गिफ्ट–डीड–

दानदाता द्वारा भूमि एवं भवन अथवा निर्मित भवन विधिवत् विभाग को सुपुर्द करने के लिए दानपत्र विभाग के पक्ष में निष्पादित कराया जाएगा। यह दानपत्र पंजीयक से प्रमाणित होना आवश्यक है।

भवन को दान में एवं राज्याधीन लिए जाने की स्वीकृति हेतु निम्न दस्तावेज के साथ प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी की अभिशंषा सहित निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को स्वीकृति हेतु भिजवाया जाएगा–

1. दानदाता की लिखित सहमति एवं शर्तों की प्रतियां
2. भवन/भूमि के मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज की प्रति
3. पंजीयक से पंजीकृत दानपत्र की प्रमाणित प्रति
4. भवन/भूमि की अनुमानित लागत (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) विवरण की प्रति
5. भवन विद्यालय संचालन हेतु सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त होने का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की प्रति
6. भवन/भूमि के ब्ल्यू प्रिन्ट की प्रति

भामाशाह सम्मान

शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं भौतिक विकास के लिए पांच लाख रूपये अथवा इससे अधिक धनराशि का सहयोग देने वाले दानदाताओं को प्रति वर्ष भामाशाह दिवस 28 जून को एक राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाता है।

15 लाख रूपये अथवा इससे अधिक धनराशि का एक मुश्त सहयोग करने वाले दानदाताओं को सहयोग हेतु प्रेरित किये जाने एवं उनके द्वारा प्रेरित दानदाता जिस वर्ष समारोह आयोजित हो रहा है उसमें सम्मान हेतु चयनित होने पर ही प्रेरक के रूप में सम्मानित किया जाता है।

इस हेतु विभाग द्वारा चाहे जाने पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/उप निदेशक के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक वितरण

राज्य सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत् समस्त बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना

राज्य सरकार ने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने हेतु विद्यार्थियों के लिये दुर्घटना बीमा योजना प्रारम्भ की है। यह समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत् विद्यार्थियों पर लागू है। इसका नवीनीकरण प्रति वर्ष किया जाता है। विद्यार्थी की दुर्घटना मे हुई मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति की दशा में माता/पिता/सरंक्षक को बीमे की क्षतिपूर्ति उपलब्ध करायी जाती है।

1. चिकित्सा राशि :– दुर्घटना के कारण 24 घण्टे से अधिक चिकित्सालय में भर्ती रहने पर निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रति विद्यार्थी पॉलिसी अवधि में अधिकतम देय राशि 5000/– है।
2. अवधि :– दुर्घटना की स्थिति में दावा प्रपत्र दुर्घटना तिथि से छः माह के अन्दर संस्था प्रधान से जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) से प्रति हस्ताक्षर होकर विभाग के जिला बीमा कार्यालय को प्राप्त हो जाने चाहिए।
3. दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में आवश्यक प्रपत्र :–
   1. दावा प्रपत्र पूर्ण एवं हस्ताक्षरित 2. पुलिस में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति 3. पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति 4. मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति एवं 5. संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र
4. दुर्घटना में हुई क्षति एवं चिकित्सा व्यय हेतु आवश्यक प्रपत्र :–
   1. दावा प्रपत्र–पूर्ण एवं हस्ताक्षरित 2. पुलिस में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति 3. डॉक्टर का प्रमाण पत्र 4. चिकित्सा परिचर्या एवं डिस्चार्ज बिलों की प्रमाणिक प्रति एवं 5. संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र।

5. योजना :– विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना की क्षतिपूर्ति निम्न क्षतियों पर देय है –

क्र. सं.	दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार	क्षतिपूर्ति
1	दुर्घटना में मृत्यु होने पर	1,00,000/–
2	दुर्घटना में दोनो हाथो या दोनो पैरों या दोनो आंखो या एक हाथ एक आंख अथवा एक पैर, एक हाथ की क्षति पर	1,00,000/–
3	एक हाथ अथवा एक पैर अथवा एक आंख की क्षति पर	50,000/–
4	उपरोक्त क्षतियों के अलावा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति से बीमाकृत विद्यार्थी के सम्पूर्ण रूप से अयोग्य होने की दशा में	1,00,000/–
5	आंशिक शक्तियों की क्षति की दशा में	
	(अ) श्रवण शक्ति की पूर्ण क्षति की दशा में	
	1. श्रवण शक्ति की पूर्ण क्षति (दोनो कानों की क्षति)	50,000/–
	2. श्रवण शक्ति की क्षति (एक कान की पूर्ण क्षति)	15,000/–
	(ब) एक हाथ के अंगूठे व अंगुलियों की क्षति	
	1. एक हाथ के अंगूठे एवं चारों अंगुलियां की क्षति (समस्त अंगूलस्थियों की क्षति)	40,000/–
	2. एक हाथ के अंगूठे के के अतिरिक्त चारों अंगुलियां की क्षति (समस्त अंगूलस्थियों की क्षति)	35,000/–
	(स) 1. हाथ के अंगूठे की क्षति (दोनों अगुलस्थियो की क्षति)	25,000/–
	2. हाथ के अंगुठे की क्षति (एक अंगुलस्थी की क्षति)	10,000/–
	(द) हाथ के अंगूठे के अतिरिक्त अन्य अंगुलियों की क्षति	
	1. हाथ के अंगुठे के अतिरिक्त अन्य अंगुलियों की क्षति	10,000/–
	2. किसी भी अंगुली की दो अंगुलस्थियों की क्षति	8,000/–
	3. अंगुली की एक अंगुलस्थी की क्षति	4,000/–
	(य) पांव के अंगूठे एवं अंगुलियों की क्षति की दशा में	
	1. दोनो पांवों की समस्त पंचागुलियों की क्षति (समस्त अंगुलस्थियों की क्षति)	20,000/–
	2. पांव के एक अंगूठे की क्षति (दोनों अंगुलस्थियों की क्षति	5,000/–
	3. पांव के एक अंगुठे की क्षति (एक अंगुलस्थी की क्षति)	2,000/–
	4. अंगुठे के अतिरिक्त अंगुलियों की क्षति (दोनो अंगुलस्थियों की क्षति)	1,000/– प्रति अंगुली
	5 जलने से क्षति 1. शरीर का 50 प्रतिशत या ज्यादा 2. शरीर का 40 प्रतिशत या ज्यादा परन्तु 50 प्रतिशत से कम 3. शरीर का 30 प्रतिशत या ज्यादा परन्तु 40 प्रतिशत से कम	 50,000/– 40,000/– 30,000/–

प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत छात्रवृतियाँ

क्र.सं	विवरण	पात्र	स्तर	कक्षावार मासिक दर (जुलाई से अप्रैल)	आय सीमा
1	1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी	कक्षा 6 से 8	• छात्र 15रू.प्रति माह • छात्रा 75 रू. प्रति माह (शैक्षणिक सत्र में 10 माह हेतु)	आयकर दाता न हो।
2	विमुक्त एवं घुमन्तु जाति तथा अन्य पिछडी जाति (बॉर्डर ऐरिया) के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	विमुक्त एवं घुमन्तु तथा अन्य पिछडी जाति (बॉर्डर ऐरिया) के विद्यार्थी	कक्षा 6 से 8	• छात्र 15रू.प्रति माह • छात्रा 20 रू. प्रति माह (शैक्षणिक सत्र में 10 माह हेतु)	आयकर दाता न हो।
3	अन्य पिछडा वर्ग छात्रवृति (के.प्र.यो)	अन्य पिछडा वर्ग	कक्षा 6 से 8	• 40रू प्रति माह (शैक्षणिक सत्र में 10 माह हेतु)	44500/– वार्षिक आय
4	अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के विद्यार्थी	कक्षा 1 से 8	• कक्षा – छात्रावासी– डेस्कॉलर (रू. प्र.मा.) • 1–2 – 110 रू • 3–8 700 रू. 110 रू. • 1000 रू. वार्षिक अनुदान (हॉस्टलर) • 750 रू. वार्षिक अनुदान (डेस्कॉलर)	–
5	अल्प–संख्यक छात्रवृति	अल्प–संख्यक समुदाय के विद्यार्थी	कक्षा 1 से 10	• कक्षा 6 से 10– प्रवेश शुल्क – 500 रू वार्षिक या वास्तविक शुल्क, जो कम हो। • कक्षा 6 से 10– शिक्षण शुल्क– 350 प्रतिमाह या वास्तविक शुल्क, जो कम हों। (शैक्षणिक सत्र में 10 माह हेतु) • कक्षा 1 से 10 (गैरछात्रावासी) रखरखाव भत्ता– 100 रू. प्रतिमाह • कक्षा 6 से 10 (छात्रावासी) रखरखाव भत्ता– 600 रू. प्रति माह या वास्तविक (जो कम हो) (शैक्षणिक सत्र में 10 माह हेतु)	1.00 लाख वार्षिक आय
6	अत्यन्त निर्धनता छात्रवृति	जिन छात्र–छात्राओं के पिता एवं संरक्षक की वार्षिक आय 2500 रू से अधिक नही हो	कक्षा 6 से 8	• 10 रू मासिक (शैक्षणिक सत्र में 10 माह हेतु)	2500/– वार्षिक आय
7	प्री–करगिल/करगिल युद्ध में शहीद/स्थाई विकलांग हुए सैनिकों के बच्चों को छात्रवृति	प्री–करगिल/ कारगिल युद्ध में शहीद/स्थाई विकलांग हुए सैनिकों के सभी अध्ययनरत् पुत्र–पुत्रियों को	कक्षा 1 से 8	• 1800 रू. वार्षिक	–

नोट :– एक विद्यार्थी को एक ही प्रकार की छात्रवृति देय होती है।

पोषाहार (मिड–डे–मील)

राजस्थान में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा एक से आठ में अध्ययनरत् बालक–बालिकाओं को राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। कक्षा एक से पांच तक संचालित समस्त राजकीय, स्थानीय निकाय, अनुदानित विद्यालयों, मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित पंजीकृत मदरसों, संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों तथा भारत एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजना के अन्तर्गत चल रहे विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक–बालिकाओं को पोषाहार दिया जा रहा है। प्राथमिक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को दिये जाने वाले भोजन में 100 ग्राम खाद्यान्न, जिसमें 12 ग्राम प्रोटीन एवं 450 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन दिया जाता है। सभी छात्रों को पका हुआ भोजन मीनू के अनुसार दिया जाता है। वर्ष 2007–08 से राज्य में संचालित समस्त राजकीय एवं अनुदानित विद्यालयों में (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित कक्षा छः से आठ सहित) अध्ययनरत् बालक–बालिकाओं को मिड–डे–मील उपलब्ध करवाया जा रहा है। कक्षा छः से आठ तक के प्रत्येक विद्यार्थी को 150 ग्राम खाद्यान्न प्रतिदिन दिया जाता है। दिये जाने वाले भोजन में 700 कैलोरी उर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन होना आवश्यक है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन आयुक्त मिड–डे–मील द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला परिषद के माध्यम से किया जा रहा है। विद्यालयों तक भोजन उपलब्ध कराने में जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रकाशन

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन और अभिभावकों को शिक्षा विषयक नई–नई जानकारियां उपलब्ध करवाने हेतु तथा प्रारम्भिक शिक्षा से संबंधित आदेश–निर्देश उपलब्ध करवाने के लिये इनका प्रकाशन शिविरा पत्रिका एवं टीचर–टुडे में भी कराया जाता है।

शिक्षक प्रशिक्षण

राज्य में 32 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है, इनमें से 30 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन (पूर्व का नाम बी.एस.टी.सी.) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित है। प्रत्येक डाईट में इस हेतु 50 सीट आवंटित है। 235 निजी एवं संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन पाठ्यक्रम संचालित है ।

अभिभावक–शिक्षक परिषद्

समाज, छात्र एवं शिक्षकों के मध्य बेहतर समन्वय के उदेश्य से सभी विद्यालयों में अभिभावक–शिक्षक परिषद् का गठन किया गया है। इस बैठक में विद्यार्थियों की पठन–पाठन संबंधी समस्याओं एवं कमियों की पूर्ति पर विचार किया जाता है एवं शाला के शैक्षिक स्तर में अभिवृद्धि के लिये कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। परिषद् की बैठक में सभी अभिभावक भाग ले सकते है। विद्यालय में प्रत्येक माह के अन्तिम कार्य दिवस को अभिभावक–शिक्षक परिषद् की बैठक आयोजित की जाती है।

विद्यालय प्रबन्धन समिति

समस्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समाज एवं विद्यालय की संयुक्त भागीदारी को बढ़ावा देने एवं शिक्षा के साथ–साथ विद्यालय के भौतिक विकास के लिये विद्यालय प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। इन विकास समितियों की बैठक मासिक रूप से आयोजित की जाती है। आवश्यकता होने पर शाला प्रधान द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति की माह में एक से अधिक बैठक भी आयोजित की जा सकती है।

खेल कूद गतिविधियां

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालयी छात्र–छात्रा (14 वर्ष) की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रतिवर्ष निम्नानुसार किया जाता है –

खेलकूद प्रतियोगिता

क्र. सं.	स्तर	सम्भागित्व	प्रमाण पत्र
1	जिला स्तर	जिले के सभी विद्यालय	सम्भागित्व तथा प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त प्रमाण पत्र
2	राज्य स्तर	जिले के विजेता (14वर्ष) एवं जिले का चयनित दल	सम्भागित्व तथा प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त प्रमाण पत्र
3	राष्ट्रीय स्तर	राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर चयनित /मानदण्ड पूरा करने वाले खिलाडी	सम्भागित्व तथा प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त प्रमाण पत्र

शिक्षा का हक

शिक्षा व्यक्ति के जीवन पर्यन्त चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है। हर नागरिक को अपनी क्षमता एवं आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न अधिकार सम्मिलित किये गये है :–

- न्यूनतम कार्य दिवस एवम् प्रतिदिन न्यूनतम शिक्षण घण्टे निर्धारित किये गये है ।
- विद्यालय में प्रवेश हेतु किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा, साक्षात्कार आदि वर्जित है ।
- छात्र–छात्राओं का सतत् एवं समग्र मूल्यांकन होगा ना कि अंक आधारित परीक्षाएँ।
- कोई छात्र अनुतीर्ण नहीं होगा । वर्ष दर वर्ष कक्षोन्नति मिलेगी ।
- छात्र–छात्राओं से कोई फीस वसूल नहीं की जावेगी ।
- "दुर्बलवर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूहों" के बच्चों को गैर सरकारी विद्यालयों में प्रथम कक्षा में प्रवेशित कुल बालकों के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा में प्रवेश दिया जाना बाध्यकारी बनाया गया है ।
- प्रत्येक राजकीय विद्यालय में शाला प्रबन्धन समिति का गठन किया गया है ।
- बच्चों को शारीरिक दण्ड एवं उनका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जा सकेगा ।

अधिकारियों के दूरभाष नम्बर

राज्य स्तर :–

क्र.सं	कार्यालय का नाम	कार्यालय	निवास
1	आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,राज.बीकानेर	0151–2226551	2226552
2	अतिरिक्त निदेशक,प्रार.शिक्षा.निदेशालय,राज.बीकानेर	0151–2226560	2226559
3	वितीय सलाहकार, प्रार.शिक्षा.निदेशालय,राज. बीकानेर	0151–2226556	2226557
4	संयुक्त निदेशक (प्रशासन) प्रार.शिक्षा. निदेशालय,राज.बीकानेर ।	0151–2226558	2211049
5	निजी सचिव प्रार.शिक्षा.निदेशालय,राज.बीकानेर	0151–2226553	–
6	पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाऐं,राज.बीकानेर	0151–2226570	–
7	उप विधि परामर्शी प्रार.शिक्षा.निदेशालय,राज. बीकानेर	0151–2226565	–
8	निदेशक एसआईईआरटी, उदयपुर	0294–2415171	–

मण्डल स्तर :–

क्र.सं	कार्यालय का नाम	कार्यालय	निवास
1	उप निदेशक (प्राशि) अजमेर	0145–2620920	2642205
2	उप निदेशक (प्राशि) बीकानेर परिक्षेत्र चुरू ।	01562–250915	250916
3	उप निदेशक (प्राशि) जोधपुर	0291–2631005	2635489
4	उप निदेशक (प्राशि) जयपुर	0141–2706730	2175719
5	उप निदेशक (प्राशि) कोटा	0744–2387253	2387738
6	उप निदेशक (प्राशि) उदयपुर	0294–2415088	2418601
7.	उप निदेशक (प्राशि) भरतपुर	05644–224711	–

जिला स्तर :–

जयपुर संभाग :–

1. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. जयपुर : 0141–2703209
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. सीकर : 01572– 255728
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. अलवर : 0144– 2347851
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. दौसा : 01427– 221189

भरतपुर संभाग :–

5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. भरतपुर : 05644– 224711
6. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. धौलपुर : 05642– 221156
7. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. करौली : 07464– 220640
8. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. स.माधोपुर : 07462– 222026

उदयपुर संभाग :–

9. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. उदयपुर : 0294– 2416247
10. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. चित्तौड़गढ : 01472– 240649
11. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. प्रतापगढ : 01478–220282
12. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. बांसवाड़ा : 02962– 250052
13. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. डूंगरपुर : 02964– 232713
14. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. राजसमंद : 02952– 221547, 221951

अजमेर संभाग :–

15. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. अजमेर : 0145– 2622553
16. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. भीलवाड़ा : 01482– 251902
17. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. नागौर : 01582– 242093
18. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. टोंक : 01432– 243485

कोटा संभाग :–

19. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. कोटा : 0744– 2364066
20. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. बूंदी : 0747– 2442909
21. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. बारां : 07453– 237034
22. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. झालावाड़ : 07432– 232283

बीकानेर संभाग :–

23. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. चूरू : 01562– 251303
24. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. बीकानेर : 0151– 2226567, 2226571
25. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. झुंझुनू : 01592– 235475
26. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. हनुमानगढ : 01552– 266268
27. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. गंगानगर : 0154– 2452370

जोधपुर संभाग :–

28. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. जोधपुर : 0291– 2510184
29. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. जालौर : 02973– 223100
30. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. जैसलमेर : 02992– 252118
31. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. पाली : 02932– 221690
32. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. सिरोही : 02972– 220332
33. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. बाड़मेर : 02982– 221114, 226624

विधि :–

34. जिला शिक्षा अधिकारी, विधि, जयपुर : 0141– 2227118
35. जिला शिक्षा अधिकारी, विधि, जोधपुर : 0291– 2634814

विभाग के ई–मेल पते

eduele@rediffmail.com

aayukt.ele@gmail.com

aayukt_ele@yahoo.co.in